

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी- डॉ एस.पी.सिंह (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 206/16

बउनवान

राजू पुत्र श्री मोहननाथ आयु 40 साल जाति नाथ निवासी-रटावद
तहसील-बारां जिला-बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, बारां

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री मदनमोहन नागर, अभिभाषक

2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)



निर्णय दिनांक-16.11.2017

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 07.02.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा-75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम-लेवा, तहसील-बारां की आराजी खसरा नम्बर 384 किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 132/-रूपये अर्थदण्ड एवं 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय में रकबा अंकित नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त खसरा नम्बर की भूमि के कितने रकबे पर फसल की बुवाई कर अतिक्रमण किया है निर्णय में अंकित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व सांक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई समय नहीं दिया गया है तथा अतिक्रमित आराजी की पैमाईश भी नहीं की गयी है, पैमाईश रिपोर्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अपीलांट का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है ना ही तावान राशि बकाया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 7.2.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

व जवाबदेही का अवसर दिये, एकतरफा निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में रकबा अंकित नहीं कि अपीलांट ने कितनी भूमि पर अतिक्रमण किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है, कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में भूमि पडत है तथा अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी अतिक्रमण नहीं करने के लिये वचनबद्ध है। तावान राशि जमा करा दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानकर सजायाब किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पश्चात्वर्ती बाबत पटवारी हल्का का बयान, स्वतंत्र साक्ष्य व बेदखलीनामा नहीं है। निर्णय साईक्लोस्टाईल प्रफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रोपर तामील करवाकर, विधिवत सुनवाई कर समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है इसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अतिचार करने पर मि0नं0 33/13 निर्णय दिनांक 12.3.2013 से बेदखल किया गया है। अपीलांट आदतन अतिक्रमी है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान पर पश्चात्वर्ती पाये जाने के फलस्वरूप उक्त आदेश पारित किया गया है। किन्तु बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का कथन रहा है कि उसने उक्त आराजी से कब्जा छोड़ दिया है तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करेगा। वर्तमान में उक्त आराजी खाली पडी हुई है।

फलस्वरूप अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित बेदखली, शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 82/14 में पारित निर्णय दिनांक 7.2.2014 से दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर माफ की जाती है कि अपीलांट विवादित आराजी से कब्जा छोड़ दें तथा तहसीलदार, बारां के समक्ष दो माह में उपस्थित होकर अण्डरटेंकिंग पेश कर दे कि उक्त आराजी पर भविष्य में अतिचार नहीं करेंगे तथा तहसीलदार, बारां कब्जा छोड़ने से संतुष्ट हो जावे तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा निर्णय दिनांक 07.02.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ की जाती है अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2014 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(डॉ०एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर, बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)